

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 54/2015 अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

नरेश सिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी चक 7 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. उतमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी संजय बस्ती तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. पूर्णसिंह फौत :-
 - 2/1 सुनिता पत्नी पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
 - 2/2 देव भाटी पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
 - 2/3 तुलसी भाटी पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
3. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अशोक कुमार भादू- वकील वादी

श्री कुलदीप बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1

श्री संतलाल बिजारणिया वकील प्रतिवादी सं. 2/1 ता 2/3

निर्णय दिनांक-~~01-11-2016~~

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. प्रतिवादी सं. 1 उतमसिंह को चक 8 एएम के प.नं. 190/10(46) कि.नं. 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/0.2304, प.नं. 190/18(45) कि.नं. 6 ता 20 की कुल 5.504 है. भूमि का,
2. प्रतिवादी सं. 2/1 ता 2/3 सुनीता पत्नी पूर्णसिंह, देव भाटी पुत्र पूर्णसिंह, तुलसी भाटी पुत्री पूर्णसिंह को चक 8 एएम के प.नं. 190/10(46) कि.नं. 10/.120, 15/.1083, 16/.253, 6/.0226, 7 ता 9 की 0.759 है. कुल 1.2628 है. भूमि के,
3. वादी नरेशसिंह को चक 8 एएम के प.नं. 190/10(46) कि.नं. 10/.120, 11/.240, 12 ता 14 की 0.759 है., 15/.1438 है. कुल 1.2628 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे। आज यह पर्वा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिन ~~01-11-2016~~ को जारी की गई।

01.
(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

